—107—

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 923] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 14, 2017/कार्तिक 23, 1939
No. 923] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 14, 2017/KARTIKA 23, 1939

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2017

सा.का.नि. 1385(अ).—केन्द्र सरकार, दिल्ली विकास अधिनियम,1957 (1957 की 61) की धारा 56 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण में आयुक्त और सचिव के पद की भर्ती की विधि को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (आयुक्त और सचिव के पदों) भर्ती नियम, 2017 कहा जाए।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो, इन नियमों से उपाबद्ध अनूसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में यथा-विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं इत्यादि.**—भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में यथा-विनिर्दिष्ट हैं।

4. **पद पर नियुक्ति के लिए अनुमति.**—इन नियमों के अंतर्गत केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना पदोन्नति द्वारा कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

-106-

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार, यदि यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, वह आदेश द्वारा उनमें ढील दे सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए व्यवस्था किया जाना अपेक्षित हो।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा अचयन पद है	सीधी भर्ती किए जाने के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. आयुक्त और सचिव	6(छः) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन)	समूह-क	स्तर - 13 (1,18,500-2,14,100/-रु.)	गैर-चयनित पद	लागू नहीं।

सीधे भर्ती किए जाने के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	प्रोन्नति की अवधि, यदि कोई हो,	भर्ती की विधि - भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न विधियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	प्रोन्नति द्वारा दो पद प्रतिनियुक्ति द्वारा चार पद

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति – वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78,800-2,09,200/-रु.) में नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले दिल्ली विकास प्राधिकरण में निदेशकों में से प्रोन्नति और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था अथवा समकक्ष से स्नातक की उपाधि धारक।	प्रोन्नति पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति:- (1) उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण - अध्यक्ष (2) अभियंता सदस्य, दिल्ली विकास प्राधिकरण - सदस्य (3) वित्त सदस्य, दिल्ली विकास प्राधिकरण - सदस्य (4) एक बाहरी सदस्य - उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किया जाएगा। (5) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक प्रतिनिधि –उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किया जाएगा।	लागू नहीं।

105

प्रतिनियुक्ति- आयुक्त के चार पद, अर्थात् (i) आयुक्त (आवास; (ii) आयुक्त (भूमि प्रबंधन); (iii) आयुक्त (भूमि निपटान), और (iv) आयुक्त (कार्मिक) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 जनवरी, 1996 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36/77/94-ईओ(एसएम-I) में यथानिहित सेंट्रल स्टार्फिंग स्कीम के अंतर्गत भरे जाएंगे। **नोट :** केन्द्र सरकार में अथवा किसी अन्य संगठन अथवा किसी विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।	**टिप्पणी :** वित्त सदस्य अथवा अभियंता सदस्य के पद पर किसी रिक्ति के मामले में, प्रधान आयुक्त को विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जायेगा।	

[फा. सं. के-11011/16/2017-डीडी II]

एस. बी. प्रसाद, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2017

G.S.R. 1385(E).—In exercise of the powers conferred by section 56 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Commissioner and Secretary in the Delhi Development Authority, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Delhi Development Authority (Posts of Commissioner and Secretary) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in the pay matrix.**—The number of post, its classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these Rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. .**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Approval of appointment to post.**—No appointment by promotion shall be made without obtaining prior approval of the Central Government under these rules.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, had entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by an order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category or persons.

7. **Savings.**—Nothing in these Rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Commissioner and Secretary.	6 (Six). (*Subject to variation dependent on work load).	Group 'A'.	Level-13 (Rs. 1,18,500 – 2,14,100/-).	Non-selection post.	Not applicable.

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two posts by promotion. Four posts by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation or bsorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Promotion from amongst Directors in the Delhi Development Authority with five years of regular service rendered after appointment thereto in level-12 (Rs. 78,800 – 2,09,200/-) in the pay matrix and possessing bachelor's degree from a recognised University or Institute or equivalent . Deputation: Four posts of Commissioner, i.e. (i) Commissioner (Housing); (ii) Commissioner (Land Management); (iii) Commissioner (Land Disposal) and (iv) Commissioner (Personnel) shall be filled up under the Central Staffing Scheme of the Department of Personnel and Training as contained in office memorandum No. 36/77/94-EO(SM-I) dated the 5th January, 1996. **Note :** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the	**Departmental Promotion Committee for considering promotion :-** (1) Vice Chairman, Delhi Development Authority - Chairman; (2) Engineer Member, Delhi Development Authority - Member; (3) Finance Member, Delhi Development Authority - Member; (4) One outside expert - to be appointed by Vice Chairman, Delhi Development Authority; and (5) Representative of Scheduled Caste/ Scheduled Tribe -to be appointed by Vice Chairman, Delhi Development Authority. **Note :** In case of any vacancy to the post of Finance Member or Engineer Member, Principal Commissioner shall be inducted in Departmental Promotion Committee.	Not applicable.

103

same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years.		

[F. No. K-11011/16/2017-DD II]

S.B. PRASAD, Under Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.11.14 20:04:05 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.